



अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , रायपुर (छत्तीसगढ़)  
**All India Institute of Medical Sciences, Raipur (Chhattisgarh)**  
 Tatibandh, GE Road, Raipur - 492 099 (CG)  
[www.aiimsraipur.edu.in](http://www.aiimsraipur.edu.in)

No. 22/22/2019/Admin/2645

Date: 30-03-2020

### **OFFICE ORDER**

In continuation to this office Order No. 22/146/2019-20/Admin/2482 dated 7<sup>th</sup> March, 2020 (copy enclosed), it is brought to notice of all concerned that the State Government of Chhattisgarh has invoked the Chhattisgarh Essential Services Maintenance and Inconsistency Prevention Act, 1979 vide Order No. F-4-133/Home-C/2018 dated 28-03-2020 (copy enclosed) and has prohibited the persons providing essential services in the following fields to be absent from their respective work:

1. All health facilities
2. Doctors, Nurses and health workers
3. Sanitation workers in health facilities
4. Sales, maintenance and transport of medical equipment
5. Sales, transport and manufacturing of drugs and medicines
6. Ambulance services
7. Water and electricity supply
8. Security services
9. Food and drinking water provision and management
10. BMW management

All the employees of AIIMS Raipur are advised to take note of the above instructions. Any official of AIIMS Raipur refusing to carry out the duties assigned to him/her by the AIIMS Administration will be liable to be proceeded against as per the provisions of the above-mentioned Act.

This issues with the approval of Director, AIIMS, Raipur.

Hindi version will follow.

**Encl.:** As above.

  
 (Parijat Diwan)

**Senior Administrative Officer**  
**AIIMS, Raipur**

#### **Copy to:**

1. Director, AIIMS Raipur.
2. Dean (Academics), Medical College, AIIMS Raipur.
3. Medical Superintendent, AIIMS Raipur.
4. Dy. Director (Admin), AIIMS Raipur.
5. Financial Advisor, AIIMS, Raipur.
6. All H.o.D.s/faculty members/officers/staff, AIIMS Raipur.
7. Dr. Ajoy Kumar Behera, Nodal Officer, Corona Ward, AIIMS Raipur.
8. Dr. Atul Jindal, In-charge, Corona Ward, AIIMS Raipur.
9. Guard File.



अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर (छत्तीसगढ़)  
**All India Institute of Medical Sciences, Raipur (Chhattisgarh)**

Tatibandh, GE Road,  
 Raipur - 492 099 (CG)

[www.aiimsraipur.edu.in](http://www.aiimsraipur.edu.in)

Date: 07<sup>th</sup> March, 2020

No. 22/146/2019-20/Admin/ 2482

**आदेश**

एम्स, रायपुर में नियमित/प्रतिनियुक्ति/संविदा/आउटसोर्सिंग आधार पर कार्यरत ग्रुप ए, बी और सी के संकायी और गैर-संकायी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कोरोना वायरस के आउटब्रेक के कारण सभी प्रकार की स्वीकृत छुट्टियों को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है एवं अगले आदेश तक (आपात स्थिति के अलावा) किसी प्रकार का अवकाश अनुशंसित/अनुमोदित नहीं किया जाएगा।

जो अधिकारी/कर्मचारी वर्तमान में छुट्टी पर जा चुके हैं, उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे तुरंत अपने संबंधित विभाग में पहुँचें और अपना कार्यभार पुनः ग्रहण करें।


यह निदेशक, एम्स, रायपुर के अनुमोदन से जारी किया गया है।

**ORDER**

All the Faculty and Non-faculty members (Group-A, B & C) working on Regular/Deputation/Contractual/outsourcing basis in AIIMS Raipur are hereby informed that due to recent outbreak of Corona virus, it has been decided to cancel all types of leave sanctioned, with immediate effect. No leave shall be recommended/granted (except in cases of emergency) until further orders.

The officials/staff, who are currently on leave are directed to report back to their respective department immediately and resume their duties.

This issues with the approval of Director, AIIMS Raipur.

  
 (पारिजात दीवान)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
 एम्स, रायपुर

**Copy to:**

1. Director, AIIMS Raipur.
2. Dean, AIIMS Raipur.
3. DDA, AIIMS Raipur.
4. MS, AIIMS Raipur.
5. FA, AIIMS Raipur.
6. All Faculty Members, AIIMS Raipur.
7. All Officers, AIIMS Raipur.
8. Guard File.

With a request to endorse to all regular/  
 deputation/contractual/ outsourcing  
 employees, SR, JR and Nursing staff  
 in your respective department

छत्तीसगढ़ शासन  
गृह(सी अनुभाग)विभाग,  
महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

-0-

//आदेश//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 28/03/2020

क्रमांक एफ-4-133/गृह-सी/2018 :: यतः, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे यथा विनिर्दिष्ट की गई अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध किया जाये,

अतएव, छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क 10 सन् 1979) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस आदेश के जारी किये जाने की तारीख से निम्नलिखित अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध करती है, अर्थात्-

" समस्त शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय संस्थानों में/हेतु:-

- 1 समस्त स्वास्थ्य सुविधायें।
- 2 डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी।
- 3 स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता कार्यकर्ता।
- 4 मेडिकल उपकरणों की बिक्री, संधारण एवं परिवहन।
- 5 दवाईयों एवं ड्रग्स की बिक्री, परिवहन एवं विनिर्माण।
- 6 एम्बुलेंस सेवाएं।
- 7 पानी एवं बिजली की आपूर्ति।
- 8 सुरक्षा संबंधी सेवायें।
- 9 खाद्य एवं पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन।
- 10 बीएमडब्ल्यू प्रबंधन।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(एम डी कुंदानी) 28/3/20  
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 28/03/2020

पृष्ठा0 क्रमांक एफ-4-133/गृह-सी/2018 :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का आदेश समसंख्यक दिनांक 28.03.2020 का हिन्दी/अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

(एम डी कुंदानी) 28/3/20  
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग


....2

.....2.....

पृ.क. एफ-4-133/गृह-सी/2018  
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 28/03/2020

1. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर, छत्तीसगढ़,
2. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, विलासपुर,
3. महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, विलासपुर,
4. अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर,
5. विशेष सहायक, माननीय गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर,
6. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर,
7. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर,
8. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर,
9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर रायपुर की ओर कृपया अपने अधनस्थों को आवश्यक पालनार्थ कार्यवाही हेतु अग्रेषित करने का कष्ट करें।
10. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर,
11. नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, रायपुर,
12. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर,
13. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर,
14. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़,
15. समस्त रेंज पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़,
16. समस्त जिलादण्डाधिकारी, छत्तीसगढ़,
17. समस्त पुलिस अधीक्षक, छत्तीसगढ़,
18. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर,
19. कंट्रोल रूम- पुलिस, स्वास्थ्य, परिवहन एवं आश्रयक वस्तुएं,
20. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, इन्द्रावती भवन के सामने, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर दिनांक 28/03/2020 के असाधारण राजपत्र में प्रकाशनार्थ। कृपया राजपत्र की पच्चीस प्रतियाँ इस विभाग को भेजने का कष्ट करें।

  
उप सचिव 28/3/20  
छ0ग0शासन, गृह विभाग

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH  
HOME (C-Section) DEPARTMENT  
MANTRALAYA, MAHANADI BHAVAN, NAVA RAIPUR, ATAL NAGAR

//ORDER//

Nava Raipur, Atal Nagar, dated Mar, 2020


No F 4-133/Home-c/2018, Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit refusal to work in the essential services as specified below;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Chhattisgarh Atyavashyak Seva Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979(No 10 of 1979), the State Government, hereby, prohibits refusal to work in the following essential services from the date of issuance of this order, namely:-

" In/for all Government and private health and medicinal facilities:-

1. All health facilities.
2. Doctors, nurses and health personnel.
3. Sanitation workers in health facilities.
4. Purchase, maintenance and transport of Medical Equipment.
5. Sale, transport and manufacturing of medicine and drugs.
6. Ambulance services.
7. Water and electricity supply.
8. Security related services.
9. Food and drinking water provision and management.
10. BMW management."

By order and in the name of the  
Governor of Chhattisgarh,

  
(N. D. Kundani) 20/3/20  
Deputy Secretary  
Govt. Of Chhattisgarh, Home Deptt.